राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/एफ.126/पार्ट–II/ 10164–96 दिनांकः– 26-9-17

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः–राज्य के समस्त जिलों की समस्त तहसीलों में सेग्रीगेशन कार्य करनें में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा–निर्देश।

राज्य के सभी जिलों की सभी तहसीलों में सेग्रीगेशन कार्य किये जाने हेतु शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.7(4)राज–2/2015 दिनांक 30.06.2015 (परिशिष्ट–1), निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक बीआर/एलआर/NLRMP/एफ.126/पार्ट–II/11433–11465 दिनांक 21.09.2015 एवं 12331–63 दिनांक 14.10.2015 से सेग्रीगेशन कार्य किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गए है। सेग्रीगेशन कार्य एवं वीडियों कान्फ्रेस के दौरान कतिपय प्रकरणों में आयी व्यावहारिक समस्याओं जैसे राजस्व जमाबन्दियों में खातेदारों का हिस्सा दर्ज नहीं होना या गलत दर्ज होना, खातेदारों का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास आदि में त्रुटि होना, कुओं में हिस्से का अंकन नहीं होना, हिस्सा पूरा एक नहीं होना, न्यायालय स्थगन सम्बन्धी मामलें एवं पी–28 कब लगाना है,के संबंध में राजस्व अधिकारियों द्वारा समय समय पर निराकरण चाहा जा रहा है। इस संबंध में मार्गदर्शन निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	समस्या	समाधान
1.	खातेदारों का हिस्सा दर्ज नहीं होना/गलत दर्ज होना, हिस्सा पूरा एक नहीं होना,खातेदारों के नाम, पिता का नाम, जाति, निवास आदि में त्रुटि होना।	1. यदि त्रुटि जमाबन्दी बनातें समय हुई है तो इस संबंध में साबिक (पुराना) राजस्व रेकार्ड यथा मिसल हकीयत, मिसल बन्दोबस्त, पुरानी राजस्व जमाबन्दी व नामान्तरकरण रजिस्टर के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–166(फर्द बदर) के तहत पी–27 का शुद्वि पत्र भरकर संबंधित तहसीलदार से प्रमाणीकरण करवाना। 2. खातेदारों की आपसी सहमति एवं उपरोक्तानुसार रेकार्ड से सत्यापन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अन्तर्गत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा दुरूस्ती आदेश जारी करना। 3. रेकार्ड से सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में मौके पर खातेदारों से जानकारी कर एवं उनकी सहमति के आधार पर धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा घोषणा का आदेश जारी करना।
2.	खाते में केवल कुएँ का खसरा होना व हिस्से की जानकारी न मिल पाना	चूंकि कुओं का भौतिक रूप से बटॅवारा संभव नहीं है, अतः साफ्टवेयर में नामों को Segregate कर हिस्से का अंकन किये बिना Save करनें का प्रावधान है।
3.	मैन्यूअल जमाबन्दी व साफ्टवेयर से गणना करने पर लगान में अन्तर आना।	साफ्टवेयर द्वारा अपने आप लगान की गणना किये जाने को ही मान्य माना जावे।

क्र.सं.	समस्या	समाधान
4.	गज या वर्गमीटर में भूमि अंकित है तो हिस्सें में कैसे परिवर्तित करें।	1. संबंधित सहखातेदार के रकबे को वर्गमीटर में परिवर्तित कर खाते के कुल रकबे मे भाग देने पर हिस्से में परिवर्तित हो जायेगा। 2. एक वर्गमीटर से कम के हिस्से को गणना में शामिल नही करना। 3. मैट्रिक प्रणाली में दशमलव के बाद केवल चार अंको तक ही गणना करना।
5.	न्यायालय स्थगन संबंधी मामले।	कॉलम एक के समाधान 1, 2 के अनुसार लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त करते हुए यह नोट अंकित करना कि यह दुरूस्ती आदेश इस भूमि के संबंध में संबंधित न्यायालय का नाम व संबंधित प्रकरण की प्रकरण सख्या वर्णित कर चल रहें कतिपय प्रकरण में होनें वाले न्यायालय निर्णय के अध्यधीन होगा।
6.	पी–28 कब लगाना है।	1. जब गॉव की जमाबन्दी वआदिनांक तरमीमशुदा नक्शेंका पूर्णतः मिलान हो जायें अर्थात जितनें खसरा नम्बर जमाबंदी में है, वे सभी नक्शें में भी होने चाहिए एवं इसी प्रकार जितनें खसरा नम्बर नक्शें में है, वे सभीजमाबन्दी में होनें चाहिए। जमाबन्दी के खसरों की तरमीमशुदा नक्शे के खसरों से ONE-TO-ONE MAPPING होनी चाहिए। 2. तहसील के सभी गॉवों में पी–28 की स्थिति आ जायें, तब एक साथ सभी गॉव के पी–28 को लॉक किया जावें।

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक/फा/समसख्यंक/ 10197–99 दिनांकः–26-9-17

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. नोडल अधिकारी, भू–प्रबन्ध आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान, राज्य इकाई, कमरा नं. 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर।

उपनिबंधक(भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर